FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत——जिला कलक्टर मुकाम : दौसा

कल्लूराम बनाम राज0 सरकार आदि

किस्म मुकदमा—स्थगन प्रा0पत्र

नम्बर—— 36 ——सन्— 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.05.25		

अधिवक्ता प्रार्थी श्री रामेश्वर प्रसाद बैरवा उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी ने स्थगन प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि पटवारी हल्का ने एक रिपोर्ट अंतर्गत धारा 01 के तहत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भाण्डारेज के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की गई कि अप्रार्थी कल्लूराम पुत्र ओकार मल मीना निवासी कालाखो ने संवत 2080 में किस्म गै.मु.रास्ता सिवायचक खसरा नंबर 892 रकबा 0.01है. पर अतिक्रमण किया है जिस पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी अपीलांट को भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 16 नियम 1 व 2 जा. दी. के अंतर्गत पूर्व पटवारी हल्का रामभजन मीना को साक्षी के लिए तलब कर माननीय न्यायालय में दिनांक 4.4.2025 को बयान लिए गये व जिरह की गई। जिरह में कल्लूराम मीना का खसरा नंबर 892 में कब्जा होना नहीं बताया और अपने जिरह में बताया कि दिनांक 14.6.2022 को खसरा नंबर 892 का सीमाज्ञान राजस्व टीम की उपस्थिति में किया गया जिसमें मेरे हस्ताक्षर है व सभी राजस्व टीम के हस्ताक्षर है। उपखंड अधिकारी दौसा, तहसीलदार दौसा, भू अभिलेख निरीक्षक भांडारेज व टीम के अन्य पटवारियों को तलब करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया। दिनांक 28.4.2025 को और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया और दिनांक 28.4.2025 को ही माननीय न्यायालय ने निर्णय कर दिया जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति की सूरत पैदा हो गई है। न्याय हित में अपील के अंतिम निस्तारण तक अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 28.4.2025 की क्रियान्विति को स्थगित फरमाया जाना एवं अप्रार्थीगण को पाबंद फरमाया जाना आवश्यक है नहीं तो प्रार्थी के अपील पेश करने का मतलब ही समाप्त हो जायेगा। अतः स्थगन प्रा.पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील के अंतिम निस्तारण तक अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 28.4.2025 की क्रियान्विति को स्थगित फरमाया जावे।

अधिवक्ता प्रार्थी की स्थगन प्रा0पत्र पर बहस सुनी गई। स्थगन प्रार्थना पत्र एवं मूल नामा. अपील पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का कथन है कि दिनांक 28.2.2022 को पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में उक्त खसरा नंबर पर कोई अतिक्रमण नहीं बताया है।सैटलमेंट की टीम ने भी खसरा नंबर 892 पर कोई अतिक्रमण नहीं बताया है। पूर्व हल्का की पैमाईश में भी अतिक्रमी का कोई अतिक्रमण नहीं बताया है। पूर्व हल्का पटवारी रामभजन मीना ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 4.4.2025 को उपस्थित होकर बताया कि उक्त खसरा नंबर पर कल्लूराम मीना का कोई अतिक्रमण नहीं है और दिनांक 14.6.2022 को खसरा नंबर 892 के सीमाज्ञान में अतिक्रमण नहीं पाया गया है। सर्वप्रथम प्रार्थी [illegible] दिनांक 28.2.2022 को पत्रावली में संलग्न नहीं की गई [illegible] प्रार्थी के कथन को स्वीकार किया जाना उचित नहीं है। [illegible] 2022 की मौका पर्चा सीमाज्ञान संलग्न की गई है जिसमें अतिक्रमण के संबंध में कोई टिप्पणी पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं है। तहसीलदार भांडारेज के आदेश में रिपोर्ट दिनांक 4.1.2024 एवं 21.4.2025 का उल्लेख किया गया है जिसमें उक्त खसरा नंबर पर पक्की दुकान बनाकर अतिक्रमण का उल्लेख किया गया है। उक्त दोनो ना तो प्रार्थी द्वारा पत्रावली में संलग्न की गई है ना ही उसके संबंध में कोई कथन किया गया है। अतः मूल दस्तावेज जिसके आधार पर अधोहस्ताक्षरकर्ता यह तय करते कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षतिप्रार्थी

Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:35:42 IST
Reason: SelfAttested

के पक्ष में है, प्रार्थी द्वारा नहीं लगाये गये है। अतः उक्त तीनों बिन्दु प्रार्थी के विपक्ष में तय किये जाते है। अतः प्रार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र दर्ज फैसल होकर मूल अपील के संलग्न रहे। खुलेन्यायालय सुनायागया।

Devendra

जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:35:42 IST
Reason: SelfAttested